**पुलिस स्टेशन के लिए इमारतों का निर्माण**

2400 **श्री सुनील कुमार पटनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987–88 के दौरान दिल्ली में पुलिस स्टेशनों के लिए कितनी नई इमारतों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) इन पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है तथा निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(ग) क्या यह सच है कि सीलमपुर पुलिस स्टेशन, दिल्ली की इमारत का निर्माण कार्य पिछले अनेक वर्षों से नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

**कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) वर्ष 1987–88 के निर्माण कार्यक्रम में बसंत विहार, मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी के 3 नये थानों के भवन शामिल हैं।

(ख) 3 थानों का निर्माण संबंधी अनुमानित व्यय 2 75 करोड़ रुपए है। निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष के शुरू होने तक पूरा होने की उम्मीद है।

(ग) सीलमपुर थाने के भवन निर्माण के लिए भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के बाद 16 जनवरी, 1987 को सौंपा गया था। भवन के डिजाइनों और योजनाओं को अंतिम रूप देने में समय लगा।

(घ) निर्माण कार्य देने के लिए निविदाएं मांगी गई हैं।

**Changes in Law Relating to Provident Fund**

2401. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state whether Government propose to amend the existing provident fund law to do away with the problem of delay in payment of provident fund amount to the retiring employees caused by the Court orders allowing the employers to deposit the same in instalments; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A SANGMA): No, Sir. However, the EPF authorities generally prefer appeals against the orders which affect the interest of the subscribers adversely and seek suitable modifications.

**Default in P. F. Amount by Tea Gardens**

2402. SHRI SUNIL BASU RAY : Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of a number of defaulting tea garden owners in the statutory payment of provident fund;

(b) if so, the details of the defaulting employers alongwith the names of the tea gardens; and

(c) whether any stringent penal measures are being contemplated to force the erring employers to desist from such a wrong thing?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the names of tea gardens which were in default of provident fund dues amounting to Rs. 1 lakh or more is attached (*See* below.)

(c) The EPF authorities are generally taking the following steps, for recovery of arrears:—

(i) Issue of Revenue Recovery Certificates under section 8 of the EPF Act;

(ii) Filing of prosecution cases against defaulters under section 14 of the EPF Act;